



प्रेस विज्ञप्ति
10.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय ने बहु-करोड़ चिट फंड घोटाले से संबंधित जांच के सिलसिले में, मैसर्स वेलफेयर बिल्डिंग्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूबीईपीएल) तथा इसके निदेशकों, नामतः मल्ला विजया प्रसाद, वराह रामकृष्ण सत्य सिनीवासा राव अल्ला एवं अन्य से संबद्ध विशाखापत्तनम और हैदराबाद स्थित पांच (05) आवासीय/व्यावसायिक परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के अंतर्गत दिनांक 05.08.2026 को तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी अभियान के दौरान, भारतीय मुद्रा में 1.01 करोड़ रुपये की नकदी, विभिन्न चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण, तथा मैसर्स डब्ल्यूबीईपीएल, इसके निदेशकों और संबंधित संस्थाओं से संबंधित अपराध संकेती सामग्री/दस्तावेज (यथा संपत्ति संबंधी दस्तावेज, विभिन्न डिजिटल उपकरण) बरामद कर जब्त किए गए। मैसर्स डब्ल्यूबीईपीएल और इसके निदेशकों से संबंधित 182 बैंक खातों तथा छह उच्च श्रेणी की लग्जरी गाड़ियों के संबंध में फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा, भुवनेश्वर; सीबीआई, एसीबी, धनबाद; ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई अनेक प्राथमिकी तथा तत्पश्चात् दाखिल किए गए आरोपपत्रों और मैसर्स डब्ल्यूबीईपीएल तथा इसके निदेशकों के विरुद्ध गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा की गई शिकायत के आधार पर इस मामले में जांच शुरू की।

जांच से पता चला है कि डब्ल्यूबीईपीएल के निदेशकों और प्रबंध निदेशक ने रियल एस्टेट कारोबार की आड़ में बड़े पैमाने पर जमा राशि जुटाने की योजना संचालित की, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की भारी मात्रा में जनसाधारण से धनराशि एकत्र की, पूर्व निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए सिरे से प्राप्त धनराशि पर निर्भर रहे, निवेशकों की धनराशि को असंबंधित प्रयोजनों और निजी लाभ के लिए अन्यत्र अंतरित किया, जमाराशियों को छिपाने के उद्देश्य से अपने वित्तीय विवरणों में हेरफेर किया तथा वास्तविक प्रतिफल को कम दर्शाने और वैधानिक दायित्वों से बचने के उद्देश्य से अनियमित भूमि लेन-देन किए।

ईडी द्वारा अब तक की गई जांच से पता चला है कि उपर्युक्त धनराशि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश सहित अनेक राज्यों के हजारों भोले-भाले निवेशकों से विशाखापत्तनम में भूमि उपलब्ध कराने के झूठे बहाने पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनधिकृत रूप से एकत्र की गई थी। कंपनी ने भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित अपनी शाखा कार्यालयों से अपना कारोबार बंद कर दिया और इस प्रकार निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की।

आगे की जांच जारी है।



